

लोक शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462023

क्रमांक / अतिथि शिक्षक / 2026-27 / 016
प्रति

भोपाल, दिनांक 24/7/2026

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हायर/हायर सेकेंडरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषय:- अतिथि शिक्षकों की री-जॉइनिंग में ई-अटेंडेंस के सम्बन्ध में।

संदर्भ – संचालनालय का पत्र क्रमांक 652-653 दिनांक 30.06.2026।

संदर्भित पत्र अनुसार सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षकों की री जॉइनिंग में ई-अटेंडेंस के आधार पर पोर्टल पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए थे।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अतिथि शिक्षकों से प्राप्त आवेदन एवं समस्याओं को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु 90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता को री जॉइनिंग में शिथिलता प्रदान की जाती है। ऐसे अतिथि शिक्षकों से री जॉइनिंग के समय यह वचन पत्र लिया जाये की वे इस सत्र में अनिवार्यतः ई-अटेंडेंस लगायेंगे। इसे भविष्य के लिए उदाहरण नहीं माना जायेगा। आगामी सत्रों में ई-अटेंडेंस के आधार पर ही री-जॉइनिंग की कार्यवाही होगी इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी।

(अभिषेक सिंह)

आयुक्त

लोक शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24/7/26

पृ. क्र./ अतिथि शिक्षक /2026-27 / 017

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. महाप्रबंधक निक्सी, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
5. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।

आयुक्त
लोक शिक्षा, मध्यप्रदेश